

# उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

आदेश

क्रमांक

C/2145

II-14-9/83- XVII

जबलपुर, दिनांक 01/04/2018

०५

श्री जगदीश पाटिल, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर को मैप आईटी. भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा वर्ष-2018 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2146 /  
II-14-9/83- XVII

जबलपुर, दिनांक 01/04/2018

०५

## प्रतिलिपि :-

- 1- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्र.प्रशा. / 167-ए(भाग) / 652, इंदौर दिनांक 31.03.2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आईटी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
4. ज्वाइट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 8- श्री जगदीश पाटिल, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

25.५.१०  
(सतीश चन्द्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)